

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक 487 / गोपनीय / 2018
दो-2-11/94

जबलपुर, दिनांक 18 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्र. एफ 4-4/2014/54-2, दिनांक 17.04.2018 की प्रति :-


1. उपनियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, हबीबगंज, भोपाल-6 को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ हेतु अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004 को उनके विभागीय आदेश क्र. 1483/2018/21-ब (एक), दिनांक 11.04.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल को उनके विभागीय आदेश क्र. एफ 4-4/2014/54-2, दिनांक 17.04.2018 को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. श्री कमर इकबाल खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपे जिससे कि वे नवीन पदस्थापना के स्थान पर दिनांक **23-04-2018** तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

टिप्पणी क्र.1 :- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक **464/गोपनीय/2018/दो-2-1/2018(भाग-ए)**, दिनांक **13-04-2018**, जहां तक इसका संबंध श्री कमर इकबाल खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी का, कटनी से पच्चीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के पद पर स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा **निरस्त** किया जाता है।

टिप्पणी क्र. 2 :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

5. कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण, बी-114, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को सूचनार्थ अग्रेषित।
8. रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-
 - (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (5) सदस्य सचिव, स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (6) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (7) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (I.L.&I.L.R.)/ (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2)/ (सतर्कता)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (8) प्रभारी संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

9. रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
10. रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
11. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
12. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
13. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
14. रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
15. अनुभाग अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर/ लाइब्रेरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।


 (मो. फहीम अनवर)
 रजिस्ट्रार जनरल

-3-



मध्य प्रदेश शासन
पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 17/4/2018

क्रमांक एफ 4-4/2014/54-2:- श्री कमर इकबाल खान, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कटनी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त होने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा श्री कमर इकबाल खान, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पीठासीन अधिकारी, म0प्र0राज्य वक्फ अधिकरण के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है।

2/ प्रतिनियुक्ति की शर्तें पृथक से जारी की जावेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षर

(अशोक कुमार मालवीय)

अवर सचिव

म0प्र0शासन

पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 17/4/2018

पृ. क्रमांक एफ 4-4/2014/54-2

पतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, म0प्र0भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, म0प्र0भोपाल की ओर पत्र क्रमांक 1483/2018/21-ब(एक), दिनांक 11.04.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म0प्र0भोपाल।
4. आयुक्त, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, म0प्र0भोपाल।
5. रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर उनके अ.शा.पत्र क्रमांक 336/गोप/2018/दो-2-11/94, दिनांक 22.03.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. पीठासीन अधिकारी, म0प्र0राज्य वक्फ अधिकरण, म0प्र0भोपाल।
7. श्री कमर इकबाल खान, पीठासीन अधिकारी, म0प्र0राज्य वक्फ अधिकरण भोपाल।
8. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
9. स्टाफ फाईल।

अवर सचिव 17-4-18

म0प्र0शासन

पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

17/4/18
b-1

17 APR 2018

REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR

D.R. C. Combelle